MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendment No. 6 to Clause 4 moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment No. 6 was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : Now we take up Clause 5. There are amendments. Shri Sudhir Kumar Giri—not present. Shri Mool Chand Daga—not present.

The question is :

"That Clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : Now we take up Clause 6. There are amendments. Shri Sudhir Kumar Giri—not present. Shri Mool Chand Daga—not present. The question is:

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI JANARDHANA POOJARY : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

———

15. 33 hrs.

BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now we take up Banking Laws (Amendment) Bill. Shri Janardhana Poojary will move it on behalf of Shri Pranab Mukherjee.

15.34 hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : Sir, this Bill seeks to amend some of the existing laws relating to banking. The Bill covers amendments to nine existing Acts in the field of banking. These amendments are considered necessary partly as a result of the acceptance by Government of some of the recommendations of the Banking Commission (1972) and partly as a result of the experience gained in the administration of various banking laws. Some amendments seek to implement Government's decisions on the recommendations of the Committee on Subordinate Legislation (Lok Sabha). The Bill is thus a fairly comprehensive one and I am sure the Hon. Members will bear with me if I quickly touch upon the main provisions included in this Bill.

The more important provisions of the Bill are as follows :—

(i) One set of amendments relates to the implementation of certain recommendations of the Banking Commission, namely, grant of nomination facility to a depositor to nominate a person who could, on the depositor's death, be paid the amount to the credit of the depositor. Similarly, the banks would be empowered to return to such nominee the articles kept in safe custory or lockers. The proposed amendment would remove a long standing grievance of customers of banks. The other amendments in this category include facility for formation of subsidiaries by banks for various purposes of development of banking, rationalisation of the existing provisions relating to maintenance of cash reserves and framing

of rules for the preservation of various types of records maintained by banks, provision for the production of banks' records by way of evidence, etc.

(ii) The second set of amendments is intended to rationalise some of the existing provisions in different Acts so as to remove certain operational difficulties which have come to notice during the course of the administration of the Acts. Towards this end it is proposed to empower the Reserve Bank to appoint the Chairman of a private sector bank in certain specified circumstances, to compute the liabilities in the banking system on a net basis, computation of the net balance in the current accounts by banks, to grant statutory power to the Reserve Bank to increase the liquidity ratio, to enlarge the grounds on which application of a company for licence to carry in the banking business in India may be refused by the Reserve Bank and to protect the rates of interest charged by banks in accordance with the Reserve Bank's directives from being challenged in court.

(iii) The third set includes the implementation of the recommendations made by the Lok Sabha Committee on Subordinate Legislation in the matter of laying copies of rules and regulations framed by banks before each House of Parliament. It also covers certain miscellaneous amendments of a clarificatory nature and these intended to bring about a certain degree of uniformity in provisions of similar nature occurring in different Acts, namely, to incorporate certain supporting provisions so as to facilitate any reconstruction or amalgamation in the banking system, to lay Auditor's Report and the reports on the working and activities of public sector banks before Parliament, etc. It is also proposed to provide protection to the nominees of the public sector banks on the board of assisted units against prosecution as a result of non-compliance with certain provisions contained in the Companies Act, 1956.

I now come to the more important clauses of the Bill, namely, clauses 9 and 10 which relate to the proposal to prohibit acceptance of deposite by individuals, firms and other unincorporated bodies from the public beyond a certain specified number of depositors. These provisions are more or less on the lines of the provisions included in the Banking Laws (Amendment) Bill which was introduced in this House in December, 1978. The rationals behind the amendments included in the Bill is to ensure that the interests of the unwary and uninformed depositors are safeguarded, while at the same time, the legitimate interests of the trade, commerce and industry areu not adversely affected as far as possible. In a recent judgement of the Supreme Court of India in the case of M/s. Sanchaita Investments the Chief Justice had observed that the fact that the accused were indulging in an economic activity which was highly detrimental to national interest was a matter which must engage the prompt and serious attention of the State and Central Governments. The Chief Justice had further urged that the affairs of such firms should be regulated as such a step was essential in the interests of countless small depositors who otherwise would be ruined by being deprivedi of their life's savings. No monetary celings have been provided for acceptance of deposits but the Bill provides for certain exemptions. Penalties have also been provided for contravention of the provisions of the law.

The Bill seeks to implement the decisions of Government on several crucial issues relating to banking and I am confident that the enactment of the proposals outlined above will lead to the working of banks on a more sound feeting and thus enable them to discharge their responsibilities in the development of the national economy more effectively.

As the Hon. Members are aware, at present, there are no statutory provisions for enabling the bank depositor to nominate persons who should be paid the deposit on the death of the depositor and get possession of articles kept in safe custody and in the lockers.

This caused unintended hardship to the depositors. We have, therefore, as I stated earlier, included a provision in the present Bill; providing for nomination facilities to the depositors.

With these words, I move the Bill for consideration.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill further to amend the Bankers' Books Evidence Act, 1891, the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955, the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Regional Rural Banks Act, 1976 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, be taken into consideration."

Shri Amal Datta.

SHRI AMAL DATTA : (Diamond Harbour) : Sir, apart from one aspect, which the Minister mentioned in his speech, regarding the prohibition of acceptance of deposits from more than a certain number of persons by individuals, firms or unincorporated bodies, this Bill seeks only to introduce certain cosmetic changes of a technical nature. But, there is a lot of things which have to be stated, whenever a Bill is brought to amend the banking laws, because the laws which are being amended are quite large in number, and they also include in their fold laws under which the banks have been nationalised. So, we have to say that the entire expectations raised at the time of nationalisation of Banks have been completely belied by the way in which the banks have been made to work in the nationalised sector.

When the banks were nationalised, people thought that this will lead, if not to socialism or socialistic pattern, as the Congress have been claiming for a long time, at least to some amelioration of rural people from poverty, so that the people living below the poverty line will have some credit they will be rescued from the hands of the village usurer by the nationalised banking system, coming to their rescue. Those hopes were raised in 1970. Even in 1983 they have not come true. We are far from the goal which we had dreamed of at that time.

I have seen some figures regarding the branches of banks opened in the rural and semi-urban areas.

They have covered only a small section of India's vast rural economy. Mostly, the banks are still concentrated in the urban industrial areas. Even these numbers perhaps do not tell the whole story. Even if there are 20,000 or 30,000 branches in the rural or semi-urban areas, they are all very small ones. When they say they are servicing the village, they are not servicing the whole village or catering to the totality of the credit needs of the population, they are giving service only to a few rich people.

The Government have been talking a lot about trying to lift the people below the poverty line by various programmes like IRDP, NREP and so on. The latest one is the Employment Guarantee Scheme. All these schemes are there. We are told that Rs. 3,000 crores would be channelised into the rural sector from the banking system under the IRDP alone. We have been assured time and again in this House by no less a person than the Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, that banks have been told that they have to give credit to persons coming under the IRDP, or even otherwise, in the rural sector for a loan of Rs. 5,000 or less, without taking any security from them. Though we have been told this in this House, not once or twice but a number of times, our practical experience is otherwise.

In IRDP scheme we have found that in spite of the person being selected by the Panchayat or the BDO and in spite of the scheme having been approved and sponsored by them, the bank refuses to give credit on that ground that the person concerned does not own land or a house which they can keep as mortgage or security. They do not want only the personal security of the person; the debtor or borrower, or some other relative or friend of his; they want

something tangible, some immoveable property which they can catch hold of. This is the mentality of the by-gone days, the pre-Independence Years. But how is it that even after 13-14 years of nationalisation the same attitude persists ? How is it that in spite of the repeated pronouncements of the Government both in the House and outside, the people who need it most are being denied credit from the Government credit system ? We were told at the time of nationalisation that this is a move towards the socialistic pattern of society—the move for nationalisation of banks and nationalisation of Insurance companies—so that commanding heights of the economy are taken care of by the Government, so that the economic resources are diverted to the poor. But how much percentage of credit given by the banks is given to the rural sector ? A very very insignificant percentage. This amount of Rs. 3000 crores under IRDP represents not much when compared to Rs. 50,000 crores of the total bank credit. It is about 6 per cent. If I am wrong, Mr. Poojary will correct me, but I think it is 5 to 6 percent which is going to the rural sector through this particular scheme. The Government is taking a lot of credit for other schemes also. So, one or two percent may be added. But that is all. It is, in any case, less than 10 percent of the total credit which is going to the rural sector. This is the achievement of the Government. And at what cost ? Is the interest low ? Except for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the interest rate is not low.

PROF. N. G. RANGA : Penal rate on too of it.

SHRI AMAL DATTA : Yes. Thank you very much, Prof. Ranga.

So, this is not the way in which the Government is supposed to use the banking system; they are misusing it. And this is one of the manifestations of the previous Bill. They do not want people to know that credits are given to people without any security. As one of the Members of Parliament spoke in the course of the earlier Bill, the same bank which refused somebody loan of Rs. 5000 even with security, gave Rs. 1.5 crores to an industrial house without security. Sir, this is happening and they do not want it disclosed. They do not want to bring it before the Members of Parliament or before the House. Where will be the accountability of the bank ? I have tried to ask that question, but the Minister very cleverly avoided by saying that I am a barrister and what I was asking was not a clarification, but it was a cross-examination. Like that he avoided it.

(Interruptions)

Cross-examination or not, the Government is making efforts to see that whatever is done will be hidden from the public, they will not be accountable to Parliament to account for their misdeeds. They are trying to do this through statistics. The Minister is very firm about his measures against fraud and my statistics cannot possibly be correct because these are collected from here and there; no final probe has gone into the totality of the bank frauds, but it is roughly an amount of Rs. 2000 crores which has gone down the drain from the banking system. This I have got from a newspaper report, I have no independent source of information.

Hon. Minister may enlighten us as to what is correct. This has happened not because of these small people. Because for them in the total five years period Rs. 3000 crores will be given. Up to now they have not even got Rs. 2000 crores. This has gone to big industrialists. This has been given without security because that is where they have got the trust. Trust comes into play when you give to big industries big sums of money. They do not give any collaterals. When they cannot repay, you first put them in the list of hard and sticky accounts and after some time this is written off. Just like Shri Chakraborty, I had also asked a question. The question was—have the accounts of such and such companies been written off ? If yes, how much ? The answer was—it cannot be divulged. I am interested to see that public money deposited in the bank is not wasted. That is why I want an answer to my question. My information is about Rs. 100 crores have been

written off. But the Minister would not answer me on the ground that it relates to bank and it is against the banking usage, norms or custom.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Would the Government itself come to know?

SHRI AMAL DATTA : I have given the information to the Minister. He should have come to know from the information supplied by me.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : They protect the Government and Government protects them.

MR. CHAIRMAN : By not giving information to the Government.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Yes.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Election fund.

PROF. N. G. RANGA : No, no. That is where you put your wrong foot.

SHRI AMAL DATTA : About banking system so many changes or amendments are being brought into effect here. Shall we know exactly what is the profit of the bank even after all these amendments etc. have gone through? The profitability calculation of the bank is based on accrued interest and not on realised interest. We will be given a much rosier picture than what is in reality because much of the accrued interest will ultimately be written off. It will not be realised. Actual profitability will be less. But your account will show a higher profit.

You still have the system of transferring money to secret reserves, creating secret reserves. It is right for private banks as they have to keep money in case there is run on bank I do not know the origin of that.

In English Banking system there was provision for keeping some money as secret reserve which they would not disclose to the share holders, which they would not bring to any Books of Accounts or any audited balance sheet. This particular English custom which we are still copying here in 1983 had been abolished in England in 1979, because of Redcliff Report. The Hon. Minister may take note of it. In England they do not have secret reserve system in the banks any longe. Could we not when bringing such voluminous changes in the laws abolish this particular pernicious system? Will you help me Shri Ranga?

PROF N. G. RANGA : Your points are being noted down.

SHRI AMAL DATTA : There is a very great deal of inadequacy the banking norms. What the Hon. Minister said in reply to the previous Bill that apparently we must observe all the conservative norms of the banking system which is prevalent the world over.

In that case, why do we have such capital fund-credit ratio? My statistics may be wrong, subject to correction by Mr. Poojary. All Indian banks ratio vary from 1:134 to 1:213 as against 1:25 of the Grindlays Bank or other foreign banks. The kind of ratio they follow is between 1:20 and 1:30. That means, the banking system has expanded without creating a corresponding capital base. You are just taking money from the depositors and lending it out. But the capital base has not been increased and this is a very dangerous situation. Of course, the Government will come to the rescue. You will print notes. But if you are following the practices elsewhere you must follow something. If you are following the British or American pattern of banking system and not divulging the affairs of constituents and all these kinds of things like creating secret profit which is no longer done in England, you must also follow the capital fund to credit ratio. But you are not following that.

Now, you cannot go in for adequate expansion of your branches in the rural areas which is needed. Captial base has been one of the obstacles in the way of expansion in the rural sector. So, you will kindly note that for fulfilling our aspirations and need, the capital base of the banks should be enhanced and with that money,

you must expand into the rural areas. Whatever sins you might have committed in the past, now you try to steer a straight path in the future.

Mr. Poojary was making a big noise. I have seen one newspaper report about people not working in the banks, in the insurance companies and so on and so forth.

(*Interruptions*)

Sir, there is some kind of yardstick and it has to be applied for the purpose of finding out whether people are working or not working. It may be productivity measure. For Rs. 100 of credit given by the bank or for Rs. 100 of deposit accepted by the bank, what is the cost for personnel ? This cost was Rs. 2.55 per Rs. 100 in 1970. Now, it is Rs 1.85. It has gone down. If I am wrong, again I will request Mr. Poojary to correct me and give me the correct figures. If that is so, then, there is something wrong somewhere. Certainly, there are many things wrong. It is not the people not working that brings bad name for the banks but it is the policy of the banks or rather lack of guidelines or lack of policy from which the bank suffers. It is the over-centralisation of decision-making power in which even for a small credit, the file has to go from the branch to the centre and back. This type of things create dissatisfaction. Where credit is needed, where hundreds of people have to be dealt with, as for instance in the rural branches which are dealing with IRDP programme, required staff is not provided. Where you should provide 5 people, you provide only 3. As a result, the scheme which should have taken 15 days or a month takes about three months to a year for completion. And they are told, "You do other work first; your routine work gets priority and your IRDP work comes after that." Of course, Mr. Poojary has been very successful in cutting down the amount of over-time payment.

16.00 hrs.

He has lowered overtime payment by Rs.30 crores. Very good. But what harm has he done to the rural people? Disbursement will be Rs. 300 crores instead of Rs. 3000 crores. That is the harm because you do not know where from the overtime is coming. Is it coming from only the city branches or is it coming from rural branches? How many people are posted in rural branches? From branch to branch statistics, you will find for rural branches, figures are not unimpressive. But if you take the number of people employed in rural branches vis-a-vis the cities, you will find it is absolutely meagre and negligible. So, it is necessary to give overtime to more people. I do not want people to get overtime if you can man the branches properly. Most of the rural branches are manned by three persons. Instead of three persons, you appoint 6, 7 or 8 so that these Schemes of the Government do not become infructuous. I am speaking from my own practical experience. I have gone round my Constituency. I have gone to the bankers and seen their difficulties and I tell you that until you do that, until you properly man rural branches, you will not be able to make any dent on the eradication of rural poverty.

I have told you that productivity has gone up but that does not mean that the banking service is satisfactory. It is insatisfactory because, one example I gave you, that the loan applications are not cleared. The applications are made. But the loan applications are not cleared by the people for one month, two months, or three months, like that.

For instance, if you apply for a loan to buy better seeds, itmakes a lot of difference if you get the loan after the sowing season is over Even getting such a loan is worse than not getting the loan because you eat it up. That is happening.

The Minister of Finance is very fond of saying when he is asked questions in regard to IRDP loan, that the State from which I come is showing very bad results in loan repayment. One of the reasons for the bad payment of loan is the loan is given after its requirement is over and when the poor person can do nothing with it, he eats it up. He does not understand the consequences.

Therefore, as I started by saying, this Bill has nothing much in it, apart from that

deposit restriction system for which there have been lot of representations. I am sure that other Members will be speaking on that. I will not dilate on that. I think the move is possibly in some respects necessary but, on the other hand, the indigenous credit system is working. I do not know how it is working, for good or bad.

You will have to take note of that. The retailers, I am told, are depending to a very large extent, on non-bank credit. Retailers everywhere, in rural areas, in urban areas, everywhere depend on this.

PROF. N. G. RANGA : The rate of interest is terrible.

SHRI AMAL DATTA : I do not know that. Apparently, banking system does not come to the help of the retailers much. That is something the banking system should do.

I would like you, if it is possible, to clarify the position of the Government and the banks with regard to the loan up to Rs. 5,000/- in the rural sector, whether it is without any tangible security or whether some kind of a security is needed and what are your guidelines. If you make it clear to us and through the Reserve Bank to the banks and the bank branches, then, we would be grateful. We can do something for our people in our localities and we can see that they get the advantage which you profess to be giving but which at present is not reaching them.

With these words, I conclude.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, 19 जुलाई, 1969 के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था । वह एक ऐतिहासिक दिन था । कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था, तब और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया है, यह आप देखें । 1969 में कुल जमा राशि 4646 करोड़ रु. थी जोकि जून, 1983 तक 50000 करोड़ रु. हो गई । इसी तरह से 1969 में बैंकों की कुल शाखायें 8269 थीं जोकि जून, 1982 में बढ़कर 45 हजार से भी अधिक हो गई । उस समय 65 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा थी जबकि आज 17 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा हो गई है । पहले यह समझा जाता था कि बैंकें कुछ ही लोगों के लिए खुली हुई हैं जबकि आज बैंक्स के दरवाजे मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स, कावलर आदि हरएक गरीब आदमी के द्वारा खटखटाए जा रहे हैं । आज बैंकों के ऋण गरीब आदमियों तक भी पहुंच रहे हैं । इस तरह से उस समय और आज के समय में बैंकों के कार्य-कलाप में बड़ा अन्तर आया है और आम लोगों को काफी लाभ पहुंचा है । हालांकि मैं यह नहीं कहता कि जो भी लाभ बैंकों के द्वारा आम जनता को मिलने चाहिए थे वह सभी मिल गए गए हैं ।

इस बिल को एक तो बैंक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यहां प्रस्तुत किया गया है । दूसरे, सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि बिल बनाते समय रूल्स और रेग्युलेशंस भी सदन के सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं और उनको देखने का हमारा स्टैट्यूटरी अधिकार होना चाहिए । तीसरा, आधार है आपके एक्सपीरियंस का । पुजारी जी ने ज्यादा प्रैक्टिकल एक्स-पीरियंस किया होगा । उन्होंने कितनी ही बैंकों को विजिट किया होगा और देखा होगा कि वहां पर क्या हालत है और बैंक्स कैसी सेवा कर रहे हैं । मैं समझता हूं बैंकों की सेवायें घट गई हैं । बैंकों का जो सेवा करने का तरीका है उससे मैं समझता हूं हरएक को नाराजगी होगी । आज बैंक्स ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर रही हैं । यह बात मैं ही नहीं, पुजारी जी भी कहते हैं । 30 जुलाई, 1983 को "कामर्स" में एक आर्टिकल छपा है ।

Shri R.P. Goyal is the Chairman of

the State Bank of India. In an article in the 'Commerce' on the 30th July, 1983 he said :

"The deteriorating quality of the customer service in Banks has been the subject of discussion for quite sometime now. Banks have been flayed, not unjustifiably by the Government, the public and the customers alike for a progressive decline in internal efficiency and customer service. This adverse spotlight has arisen primarily due to the fact that banks are the financial nerve centres in the economic life of the country and deterioration in service really affectsa wide cross section of public entirely dependent on the services of the banks for a variety of economic and other activities."

ऐसी एक ने नहीं कही है। यदि आंख खोल कर देखा जाए तो श्री जनार्दन पुजारी ने बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि कुछ लोग अन्दर-अन्दर नाराज हों क्योंकि जनार्दन पुजारी जी ने ओवर टाइम कम कर दिया है। मुफ्त का पैसा थोड़ा बन्द हो गया है। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जनार्दन जी पर उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसे समय में ऐसे प्रकार के मन्त्री होना एक ही अच्छी बात है। यही बात मैंने एक दफा श्री विश्वनाथ प्रताप जी के लिए कही थी और आज मैं इनके लिए कह रहा हूं। इन्होंने आगे कहा है —

No less a person than Shri Poojary, Union Deputy Minister for Finance has certainly seen the light on the 18th January. While inaugurating a Seminar on Banking at Cochin he said :

"The day would come when the people, fed up with the discourteous service, would enter the banks and knock them out."

उनके ये शब्द थे जिनको मैंने उद्धृत किया है। कड़ी बात कहने से बैंकों के कर्मचारी अन्दर-अन्दर नाराज होते होंगे। नौकरी करने वाले कर्मचारी बड़े होशियार होते हैं। इनको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा घोड़ा है, जिस पर सवारी बहुत मजबूत चाहिए।...

(व्यवधान)

जहां तक उनकी सेवाओं का सवाल है, वे बहुत घट गई हैं। ऐसे कितने फ्राड केसेज हैं, जिनको आपने पकड़ा है ? जो काम हो रहा है उसको आप देखेंगे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। जो "बिजनैस वर्ल्ड" में निकला है उसमें कहा है—

"The pound of flesh that the powerful bank employees' union has extracted from nationalised banks has been substantial. Currently employees' wages account for 23 percent of the aggregate expenditure of the nationalised banks which compares very unfavourably with the average 16-17 percent in foreign banks operating in India."

जो फारन-बैंक्स काम करते हैं उनका खर्चा कम है। हमारे जो बैंक एम्पलाइज हैं उनके कारण, जो उनकी तनख्वाहें हैं, बोनस हैं, ओवरटाइम की मांग हैं—मंत्री महोदय ने कितना कम कर दिया होगा, जब से पुजारी जी आये हैं, मैं तब से जो आंकड़े सामने आये हैं उनको भी पेश कर दूंगा। आप कहेंगे कि इन्होंने कितना मजबूत कदम उठाया है जो इस बिल को यहां लाये हैं। लेकिन मुझे भी इस बिल के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। इसमें कुछ अमेण्डमेंट्स तो ठीक हैं लेकिन कुछ अमेण्डमेंट्स के बारे में मेरे दिमाग में कुछ रिजर्वेशन्ज हैं। हमारे जितने चेम्बर आफ कामर्स हैं, चाहे हरियाणा का हो, कलकत्ता का हो, तकरीबन सबने अपनी-अपनी रायें दी हैं और सब कहते हैं—"प्ली टु विदाल आफ बैंक ला बिल" एक तरह का रैगुलर कम्पेन चलाया गया है। आप कहेंगे—मैं महाजन हूं, आपकी भाषा में बनिया हूं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने में कोई शर्म नहीं है। आप हमको अपने बैंकों से क्या

सेवा देते हैं ? यह बैंक ला क्या है ? आप हम से क्या चाहते हैं ?

"The share of the retail trade in the total advances of the commercial banks was as low as 3.4 percent towards the end of December, 1980. The retail and wholesale trade were almost completely dependent on the informal credit system to carry on their business. Despite considerable expansion of the banking sector large areas of the country remain virtually unbank and restrictions on the informal credit system would totle economic activities in such regions, the Chamber has observed. The decentralised agriculture sector which depends on traders at times of need cannot afford the long delay which inevitably accompany credit from commercial banks."

आप एक तरफ से चल रहे हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे—आप इस बिल में कहते हैं—

"Chapter III C Clause 10 :

45 S(1) No person being an individual or a firm or an un-incorporated association of individuals, shall at any time, have deposits from more than the number of depositors specified against each, in the table below :

Individual...Not more than 10 depositors."

इस प्रकार का क्लाज क्यों रखा है ? हिन्दुस्तान में तो अभी भी ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम है।

Not more than twenty-five depositors excluding depositors who are relatives of the individual.

अगर आप यह करना चाहते हैं तो माफ करना, इस सुविधा से कमाना आसान नहीं है। इसलिए मैंने इसके अन्दर अपना अमेंडमेंट रखा है। कोई सौ रुपया जमा कराता है, कोई दो सौ रुपया जमा कराता है। क्या कोई पांच सौ रुपये में अपनी दुकान चला सकता है ? यह जो आपने रख दिया है कि नाट मोर देन टेन डिपाजिटर्स यह ठीक नहीं है। इस पर मैंने अपना अमेंडमेंट रखा है।

फिर आपने फर्म के बारे में लिखा है। हिन्दुस्तान में कितनी बिजनस कम्युनिटीज हैं। छोटे-छोटे व्यापारी हैं। उनके लिए जो आप इस प्रकार का कानून बनाते हैं और इस कानून में आप इतना अधिकार दे देते हैं कि आप इंक्वायरी कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे। क्या हालत होगी इससे व्यापारी की ? क्या इससे करप्शन नहीं होगा ? इसलिए मैंने इसमें अपना अमेंडमेंट पेश किया है।

Not more than twenty-five depositors per partner and not more than two hundred and fifty depositors in all, excluding, in either case, depositors who are relatives of any of the partners.

श्रीमन् मैंने इंडीविजुअल, फर्म और इनकारपोरेटेड एसोसियेशन के लिए बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा जो आपकी इंक्वायरी होगी उससे भी परेशानी होगी। आपने एवीडेंस एक्ट को बदल दिया है। उसको एक नया रूप दिया है। अब सवाल यह है कि इसका हरेक आदमी कुछ अर्थों में लाभ भी उठा सकता है और कुछ अर्थों में किसी को हरेसमेंट भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता था कि इसको बहुत कांशसली काम में लाया जाए। इसीलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है। जब हम अमेंडमेंट्स पर बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं मंत्री जी से यही चाहूंगा कि वे इस बिल पर बोलने से पहले मेरे अमेंडमेंट्स पर गौर करने का कष्ट करें।

अब आपने लीगल प्रोसीडिंग्स में पुलिस को सारा अधिकार दे दिया है। आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स इन्कलुड्स इन्क्वायरी एण्ड इन्वेस्टीगेशन।

आपने कानून के जरिये यह भी किया है कि एक आदमी जो चेअरमेन बनता है वह तब तक रहेगा जब तक कि दूसरा नहीं बनाया जाता। उसकी जगह खाली नहीं रहेगी।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपके जो डाइरेक्टर और चेअरमेन बनते हैं, उनमें कुछ लोग तो सेवाभावी होते हैं। मैंने यहां पर दो-एक बार सजेशन भी दिया है कि आप पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी डाइरेक्टर बनाओ। आप उनको डाइरेक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब, हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने हमारे इस सजेशन को माना भी था।

16.25 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

इतना मीटिंगों में खर्चा करते हैं। उनका काम है मीटिंग अटेन्ड करना। निर्णय कोई नहीं लेना है। आराम से जिंदगी व्यतीत करना उनका काम है। बैंक डूबता है तो डूबे। सुबह बांबे रवाना हुए प्लेन से, फाइव स्टार होटल में खाना खाया और करना कुछ नहीं है। आप नामीनेट कर देते हैं और वे जाकर बैठ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि क्या घोटाला है, सारे घोटाले लंच और डिनर में चले जाते हैं। शाम रंगीन हुई और सब काम हो गया। आप नामीनेट किनको करते हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी कामर्स डिपार्टमेंट, सब-डायरेक्टर बन जाते हैं, जिनको सेवा करनी नहीं आती। बैंकों के घोटालों को देखना चाहिए और इन डायरेक्टर्स की मीटिंग्स का फायदा होना चाहिए। इनके आफिस देखिए। मेरे ख्याल से मंत्री का कमरा भी इतना अच्छा शृंगार किया हुआ नहीं होता होगा। जैसे बैंक का सारा काम इन्होंने किया है। सेवाएं कुछ नहीं हैं। डायरेक्टर बनाने के लिए क्राइटएरिया होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिएं और ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सेवा करना चाहते हों।

आपने इसमें एक चीज और कर दी कि अगर कंपनी में कोई गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्टर जाता है तो वह कसूरवार नहीं है, उसको भी आपने माफ कर दिया, क्योंकि वह तो कभी-कभी जाता है। क्यों भेजते हैं, क्यों उनको तकलीफ देते हैं। क्या वे नई शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए सामान लेने जाते हैं। आप उन लोगों को क्यों भेजते हैं जो काम करना नहीं चाहते। तफरी करने के लिए जाते हैं। आज की इस हालत को सुधारने की जरूरत है। डायरेक्टरों का काम ठीक होना चाहिए।

आपने एक बात ठीक कर दी है कि रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक अपना एनुअल एकाउंट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। यह आपने ठीक किया है और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। आन दी होल यह बिल ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म किया गया है, छोटे-छोटे इंडीविजुअल्स के साथ, जो फर्म्स हैं और जो दूसरे अमेंडमेंट दिए हैं उन पर बाद में बोलूंगा।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : Mr. Chairman, Sir, I have no quarrel with the Bill as it is proposed. I have taken your permission to raise a special point only.

While introducing this Bill, the Minister made a reference to the catastrophe that befell on the depositors of Sanchaita, and that one of the purpose of this Bill was to

rectify that situation, if not wholly, at least to some extent.

I would, however, like to raise a point that as far as this Bill is concerned, naturally the proposal of having a nominee is very good.

So, it is because very many poor and middle class people are put in real trouble when somebody dies. That I very well appreciate. But about these kinds of things that happened in Sanchaita, a part of that might have been covered in earlier amendments, not so much, but our State Government has been requesting the Central Government for some other amendments to the non-banking concerns. That is very important. Taking advantage of this Bill I want to raise it for the consideration of the Minister. Now, as far as these non-banking firms are concerned, they can take loan from market upto any amount, if they can manage irrespective of the base of their capital. With Rs. 100/- of the capital, if he can manage, he can raise lakhs of rupees of market loans. Now, this kind of fraudulent companies often take the advantage of this situation This cannot be controlled only through the amendment of the Banking Act. There should be an amendment to the laws governing the non-banking concerns so that it is limited that they cannot take any loan which is not related to the basic capital of theirs. This is very essential.

Now, as early as 1948, the Mysore Government moved on this kind of a thing, because of the transactions case of one Shri B.N. Gopala Rao, whose modus operandi was similar to Sanchaita. It is no in the Statute Book of the State. Our Government has been requesting the Central Government either to pass a Bill to this effect as quickly as possible or even promulgate an Ordinance so that this kind of fraudulent practice can be controlled. Though this was requested of the Central Government as early as 1982 March, as yet we do not know whether they have taken any action with regard to this. So far as I know, no action has been taken. So, I would particularly request the Minister though that is not within the purview of this Amendment that is being proposed, yet he should consider this also because that is a very essential thing if the fraudulent practice has to be controlled. This is the special point I wanted to make.

I would end with two more comments. One is howsoever much tinkering may be done by way of amending the laws, unless the policy governing the finances of the bank in the sense to whom these loans will go and how it will be controlled is looked into, really very little can be done. We know from our experience that over Rs. 27,000 crores, which have been given in loan to the private sector, most of it goes to the very big concerns. And they are mostly the people who manage to go in frauds. So, unless this policy is strictly changed that this section will not have the lion's share of the loans, I think no fraud can be really stopped.

Secondly, I come to the point about loans to the poorer section of the society. Under the present situation there is a rule for seeking security. If you want to give loan to the poorest of the poor then security is demanded from him. It is actually becoming counter-productive. I would request the Minister to re-consider this entire question of giving loans to the poorer sections of the society and see how this security clause can be waived in their case. If they have enough security, they would not have required this loan.

MR. CHAIRMAN : Upto Rs. 5,000/- there is no security.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I admit. That is what they say; but when people come, for loan, it is always not provided. You would also agree that a ceiling of Rs. 5,000/- in to-day's inflationary market, does not cover even the lower middle class. That being the case, the security question should be seriously reviewed.

Lastly, Mr. Daga was very much critical about bank employees' wages. I would say, let him not be critical about bank employees' wages. If in an organized sector they have fought, they have fought for all concerned, because the same benefits may be obtained by others in future.

As far as improving the services rendered by bank employees is concerned. I would agree there is much room for it. We hope that the bank employees' organizations would give much greater attention to that question. But hitting all the time at their wages is not correct. That is a way to provoke them I hope he will resist that temptation

In the end, I would request Mr. Poojary to re-think about this amendment.

श्री दीन बन्धु वर्मा (उदयपुर) : एक लम्बे अर्से से बैंकिंग इन्डस्ट्री में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। समय के साथ उभरती समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो बिल वित्त मंत्री जी लाए हैं, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उसके लिए उनको मुबारिकबाद भी पेश करना चाहता हूं। उन्होंने समय को पहचाना है और बैंकिंग लाज में संशोधन बिल लाने का प्रयत्न किया है।

जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ज्यादा-से-ज्यादा गरीब जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था तब जो बैंक काम कर रहे थे तब वे समय की पुकार को, समय की गति को, जनता की आकांक्षाओं को, समय की जरूरतों को पहचान नहीं रहे थे और अपने आपको उसके अनुसार ढाल नहीं रहे थे। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से आज तक बैंकों के कार्य में पांच गुना की वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से हमारी सरकार का जो उद्देश्य था, जो कार्यक्रम था, उसको पूरा करने में इस राष्ट्रीयकरण ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है. गरीब जनता का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस संदर्भ में राजस्थान में जो बैंकों का योगदान रहा है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर देहाती क्षेत्रों में जिस गति से बैंकों की शाखायें खुलनी चाहिए थीं नहीं खुलीं, वह गति बहुत धीमी रही। इस कारण देहाती जनता की आवश्यकताएं कुल मिलाकर पूरी नहीं हुई, इनको पूरा करने में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण नहीं रहा, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा निवेदन है कि बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वे वहां पर देहाती क्षेत्रों में शीघ्र-से-शीघ्र अपनी शाखायें खोलें।

राजस्थान में बैंकों की पोजिशन यह है कि कुल वहां पर 38 बैंक हैं जिनमें नौ रिजनल बैंक भी शामिल हैं जो वहां पर 27 जिलों में से केवल 19 जिलों में ही कार्य कर रहे हैं। बाकी के जिलों में बैंकों की शाखायें न होने के कारण वहां की जनता बैंकों से कोई लाभ नहीं उठा पा रही है।

इसी तरह से आप ताज्जुब करेंगे कि 18,000 की आबादी पर हमारे यहां एक बैंक है, जबकि उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में 9,000 की आबादी पर एक बैंक है। जो देहाती और अर्ध देहाती क्षेत्र हैं उसके अन्दर 21,000 की आबादी पर एक बैंक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21,000 की आबादी पर जब एक बैंक है तो वह क्या काम कर सकते हैं, जबकि हमारे यहां डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरियाज भी हैं। दूरी इतनी है कि स्टाफ चाहते हुए भी वह सक्षम नहीं हैं कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें।

इसी तरह से डिपोजिट्स मार्च 1983 के अंत तक बैंकों में 994 करोड़ रु० से बढ़कर 1,152 करोड़ रु० हो गया। इससे पता लगता है कि राजस्थान में बैंकों की गतिविधियां निराशाजनक नहीं हैं। इसी तरह से एडवांस मार्च

1983 के अन्त तक बैंकों से 839 करोड़ रु० की राशि एडवांस के रूप में दी गई है जबकि मार्च 1982 में यह रकम 686 करोड़ रु. ही थी। और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट डिपोजिट जो रेशियो था वह 1983 में 72.80 परसेंट था और यही रेशियो 1982 में 72.6 परसेंट ही था। इससे आप बैंकों के कार्य का अंदाजा लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है क्रेडिट डिपोजिट रेशियो स्टेट का जो औसत है वह इस साल के अन्त तक पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्यों में जो बैंक काम कर रहे हैं उनको निर्देश दें वह थोड़ी सी अपनी कार्य पद्धति में सुधार लायें और जो क्षेत्र बैंकों की सुविधाओं से वंचित हैं वहां ज्यादा-से-ज्यादा बैंकों की शाखायें खोलें।

एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर सालों बाद इस बार अच्छी वर्षा हुई है और अच्छी फसल हुई है और हमारी जो तात्कालिक आवश्यकता है 1,200 करोड़ क्रेडिट की उसको भी बैंक देने में असमर्थ रहे हैं जबकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फ्रयटटी सेक्टर में 40 परसेंट निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में बैंक असमर्थ रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो हमारे लक्ष्य हैं राज्यों के उनको प्राप्त करने में बैंक सहयोग दें।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन बिल मंत्रीजी लाये हैं निश्चित तौर से उससे हमें और योगदान मिलेगा और हमारा जो लक्ष्य और नीतियाँ हैं गरीब जनता के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की जो हमने कल्पना की है उसको प्राप्त करने में बैंकों से और योगदान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जो इन्होंने कहा है कि बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 बैंककारी आयोग और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, उनके अनुरूप यह बिल लाये हैं, यह तो अच्छी बात है।

मान्यवर, एक सबसे बड़ा प्रश्न बैंकों से ऋण और एडवांस लेने की बात आती है और मेरे जैसा देहात का आदमी कानून की पेचीदगी में फंस जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात समझ में आती है, आपने यह सारी इतनी पोथी लेकर हमें दे दी है और इतने संशोधन कर दिये। बैंक निश्चित रूप से विशेषकर एग्रीकल्चर ग्रोथ के सम्बन्ध में प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और सबकी आपूर्ति इसके द्वारा हो जायेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रूरल एरिया के लोगों ने कृषि क्षेत्र से कितना रुपया जमा किया और उनको कितना एडवांस दिया? आप कभी-कभी रूरल और सैमी-रूरल सेक्टर बना देते हैं, इसकी सफाई होनी चाहिए।

अर्बन सेक्टर में कहा जाता है कि इतनी पूंजी दे दी लेकिन जब रूरल सेक्टर की बात आती है तो खासकर जब किसान की, आदिवासी की छोटे-छोटे काम के, लिए जरूरत की बात आती है तो कुछ नहीं हो पाता है।

मैं एक गांव की बात बताता हूं, गांव में हमारे सत्ताधारी सांसद एक स्लिप भेज देते हैं बैंक में तो लोगों को लोन मिल जाता है। 5 हजार या 25 हजार रुपया मिल जाता है, लेकिन जिसको जरूरत है, उनको एक पैसा भी नहीं मिल पाता। मैं उस दृष्टि से आलोचना नहीं करना चाहता, आपकी योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन ठीक नहीं होता।

जहां तक लिक्विडिटी की बात है, बैंक के कैलकुलेशन से एक हजार करोड़ रुपया बैंकों को चाहिए जिसकी अतिरिक्त एडवांस के लिए जरूरत है लेकिन आपने कुछ और बात कही है मुझे लगता है कि कानून और पैनलाइजेशन, किसी को दंड देना समझ में नहीं आता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि साधारण आदमी जो कि व्यावहारिक रूप से गुजर रहा है, उसके लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कानून की पोथी में कानून का संशोधन होकर रह जाना एक बात है, लेकिन उसका अमल में आना दूसरी बात है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि आपने सही दिशा में सही कदम उठाया है। बहुत से लोग जिनके डिपोजिट्स हैं, फिक्सड-डिपोजिट हैं, लाकर हैं, उनको आपने राहत दी है। हमारे डागा साहब फैमिली की बात में हिन्दू ला की भाषा में ज्यादा माहिर हैं, वह बात बता सकते हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके बैंकों की स्थिति बड़ी भयंकर आडिट के मामले में है। इसमें बड़ी गड़बड़ है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ स्टेट बैंक की तकरीबन 6 हजार शाखाएं है उसमें 18 ऐसी हैं जिनके आडिट हुए होंगे। बैंकों में रोजाना फ्राड किये जाते हैं। बैंकों मे कुल मिलाकर जालसाजी की घटनाएं 1982 में 1574 थीं, 1977 म यह फ्राड कम थीं, कुछ ही करोड़ रुपए उसमें फसा हुआ था लेकिन अब 16 करोड़ रुपए इसमें फंसा है। इस बारे में कानून बनाते समय आप ख्याल रखें। जैसे पुलिस वाली बात में एवीडेंस एक्ट के बारे में कहा है। यह भी आप खूब अच्छी जानते हैं, बैंकों में आज ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक की प्रक्रिया खूब जोरों से चल रही है। उसमें कितने आप कामयाब रहेंगे इसको रोकने में इस बारे में भी आप विचार करें।

इस पर भी आप जरूर गौर करें। 76 हजार करोड़ से अधिक वाली स्टेट बैंक वाली बात पर आप ध्यान दें। उसके बारे में कोई बात नहीं बनती। जब आपके नियम और कानून की बात नहीं बनती तब संदेह होता है कि आप लिक्विडिटी के मामले में कुछ कर पायेंगे। आपने 40 प्रतिशत किया है, अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होगा, यह आप पर है।

मैं इस पोथी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया हूं। मैंने इसको सिर्फ सरसरी निगाह से देखा है। असल में इसको देखते ही घबराहट पैदा हो जाती है। अगर मैं इसको अच्छी तरह देख सकता, तो इस पर विस्तार से कह सकता। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारा मकसद यह होना चाहिए कि बैंकों के माध्यम से हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, आम आदमी को उसका लाभ मिले और उसे कानूनी गोरख-धंधे में न फंसाया जाए।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि बैंकों में सत्ताधारी दल की बात ज्यादा चलती है। यह बिल्कुल गलत है। सब एम पीज की बराबर चलती है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हम लोगों की बिल्कुल नहीं चलती है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मन्त्री महोदय यह जांच करवाएं कि दिल्ली में किन बैंकों की शाखाओं के मैनेजरों के पास किन संसद सदस्यों की स्लिप्स आई हैं और कितनी आई हैं, जिन लोगों को उन्होंने रीकमेंड किया

है, उनको कितना पैसा दिया गया है और अन्य लोगों को कितना दिया गया है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह : पच्चीस हजार रुपए एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ को दिए जा रहे हैं। बैंकों के द्वारा वह पैसा कम्पलीट्ली उन लोगों को दिया जा रहा है, जिनको रूलिंग पार्टी दिलाना चाहती है। मैं आपको फैक्ट्स दूंगा।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बैंकिंग लाज (एमेंडमेंट) बिल का समर्थन करती हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद गांव वालों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बैंकों के द्वारा एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ को सहयता दी जा रही है, ताकि वे कोई धंधा कर सकें। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद आम लोग बैंकों में जा सकते हैं और उनकी सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं फिनांस मिनिस्टर और बैंकिंग डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहती हू। रिजर्व बैंक से रूरल एरियाज में काम करने वाले ग्रामीण बैंकों को बहुत कम फिनांस दिया जाता है। अगर ग्रामीण बैंकों का ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक उन्नति हो सकती है। इसलिए ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाले फिनांस को बढ़ाना चाहिए।

हमें फिगर्ज दिए जाते हैं कि बैंकों द्वारा 4 परसेंट इंट्रेस्ट पर लोन दिया जाता है। लेकिन जब कोई काम धन्धा करने वाले गांवों के बैंकों में जाते हैं तो उन्हें 10 परसेंट से कम इन्ट्रेस्ट पर पैसा नहीं मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लेबरर्ज और जो लोग वहां पर काटेज इन्डस्ट्री या स्माल-स्केल इन्डस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, उनको 4 परसेंट इन्ट्रेस्ट पर पैसा देने का डायरेक्शन देना चाहिए।

बैंकों का प्रोसीजर इतना लम्बा-चौड़ा है कि मामूली आदमी बैंकों से कोई सहायता नहीं ले सकता। बैंकों में बहुत ज्यादा फार्म भरने पड़ते हैं। 20-पायंट प्रोग्राम में लोगों को बहुत मदद देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बैंकिंग प्रोसीजर इतना लम्बा है कि जो अनपढ़ लोग कुछ काम-धंधा करना चाहते हैं, वे उस प्रोसीजर को पूरा नहीं कर सकते। जब तक प्रोसीजर को आसान नहीं किया जाएगा, तब तक आम जनता बैंकों से ज्यादा लाभ नहीं उठा सकेगी। सरकार ने बहुत सी सुविधाएं देने की व्यवस्था की है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। इसलिए प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो रिक्शेवाला है, जो बाइसिकल की दूकान रखना चाहता है या कोई दूसरी छोटी-मोटी शाप रखना चाहता है वे सभी अनपढ़ होते हैं, इसलिए उनके लिए बैंक का प्रोसीजर आसान करना चाहिए। जो बैंक हैं वह डायरेक्ट भी पैसा देती हैं और जो डी. आई. सीज. हैं (डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेन्टर्स) या जो खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज हैं उनके द्वारा भी पैसा दिया जाता है। लेकिन डी.आई.सीज. में, खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज में बैंकों के आफिसर्स नहीं रहते हैं, जिससे आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं रहता है। डी.आई.सीज. में पैसा सैंग्शन हो जाता है, तब भी बैंकों में उसके लिए जाना होता है और उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डी. आई. सीज. है, उनमे एक बैंक आफिसर को जरूर रखना चाहिए तभी बीस सूत्री कार्यक्रम को आम जनता में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता

है। इसी तरह से हम खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज को भी गांव-गांव में ले जाना चाहते हैं। पूज्य महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि घर-घर में छोटे-छोटे धंधे होने चाहिए। इसलिए वहां पर भी बैंकों के कोआर्डिनेशन की नितान्त आवश्यकता है। मेरा यह सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जितनी भी बैंक शाखायें हों, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाए जिसका चेयरमैन कलक्टर हो और उसमें नान-आफिशियल मेम्बर्स भी रखे जायें। महिलाओं तथा शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब का भी एक प्रतिनिधि उसमें रखा जाना चाहिए। सेन्ट्रल बैंक और रिजर्व बैंक की कमेटीज में कई जगह तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिनिधि रखा जाता है और कई जगह नहीं रखा जाता है। यदि हर जगह उनका एक प्रतिनिधि रखें तो उससे उनके काम में बड़ी आसानी पैदा होगी। इसी प्रकार महिलाओं को भी रखना अनिवार्य है। आज देश में 50 प्रतिशत महिलायें हैं, हमारी प्रधान मन्त्री भी महिला हैं लेकिन उन कमेटीज में महिलाओं को नहीं रखा जाता है। इसलिए महिलाओं को भी रखना चाहिए।

इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बैंकों का कोआर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। और आज जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं उनको लोन दिए जाने के संबंध में बड़े रेस्ट्रिक्शन्स हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए या शादी के लिए लोन की बड़ी दिक्कत आती है। मेरा सुझाव है कि उनके दफ्तरों से उनकी पे से डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके आधार पर उनको लोन दे दिया जाना चाहिए वरना उन लोगों को मजबूरन प्राइवेट लोगों से बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्ट पर लोन लेना पड़ता है। इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

17.00 hrs

आपको पे-डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर उसको लोन में मदद करना पड़ेगा। जैसे हिन्दी में एक कहावत है काबूली वाले की। जैसे काबूली वाले पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। पे डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर आपको लोगों को मदद देनी चाहिए।

बैंकिंग सिस्टम में डायरेक्टली हाउसिंग लोन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोसायटीज को देते है, हुडको के लिए देते हैं, लेकिन जिनके पास घर बनाने के लिए जगह है, उसको आपको हाउसिंग स्कीम में इन्क्ल्यूड करना चाहिए। चाहे उसके लिए आप उसकी प्रापर्टी को मार्टगेज कर दें। जिस तरह से आप मोर्टगेज करके इन्डस्ट्री के लिए देते हैं। उसी प्रकार आपको हाउसिंग के लिए भी देना चाहिए। यदि आप इसको इन्क्ल्यूड नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए घर नहीं होता है। यदि आप रिजर्व बैंक से डायरेक्शन भिजवा दें तो उनको मकान के लिए सुविधा हो जाएगी। यदि आप इस को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो हर आदमी के लिए घर बन जाएगा। इस प्रकार वे लोग भी खुश हो जायेंगे।

बैंकों में बैठकर काम करना बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं के लिए कम काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमको पति, बच्चों को संभालना पड़ता है। इसलिए बैंकों में जो काम महिलायें करती हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए। मैं तो आपसे कहना चाहती हूं कि आप महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत जगहें रिजर्व कर दीजिए। यदि हम पचास प्रतिशत कहेंगे तो आप बीस या पन्द्रह प्रतिशत ही करेंगे। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बैंकों में आपको पार्ट टाइम एम्प्लायमेंट की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप इसको

इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा महिलायें अपने घर का काम देखकर बैंकों में काम कर सकती हैं। क्योंकि महिलायें अलग नहीं रहना चाहती हैं, फैमिली में मदद करना चाहती हैं। पढ़-लिख जाने के कारण वे काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती हैं। यदि आप इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो महिलाओं को सुविधा होगी। इसके लिए आपको बैंकिंग सिस्टम में कुछ-न-कुछ चेंजेज तो करने ही पड़ेंगे।

इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम में चेन्जेज लाने के लिये आपको कुछ सोचना पड़ेगा।

अन्त में मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूं -- रूरल एरियाज में हमारे जो लोग रहते हैं उनके लिये बैंकों के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है, आप बैंकिंग सिस्टम के प्रोसीजर को आसान करें। सेल्फ-एम्पलायमेंट की जो फार्मेलिटीज हैं, खासतौर से जो फार्म्ज है उनको सिम्पलीफाई करें। डी० आई० सीज० में बैंक-आफिसर को भी रखें। बैंकों के पास स्कीमें हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने वालों को मुश्किल हो रही है। इसलिये बैंक और आपके डिपार्टमेंट्स को मिलाकर काम करना होगा। आज कल आपके डिपार्टमेंट्स अपने-अपने लिये काम करते हैं, जिससे उनके अन्दर कोआर्डिनेशन नहीं होता है। हमारे देश की महिलायें भी इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं आफिस जाने की आदत हमारे देश की महिलाओं में कम होती है। इसलिये प्रोसीजर को आसान बनाइये। जब भी महिलायें आपके यहां आयें, उनको स्पेशली अटेण्ड किया जायें, उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी जायें, कम रेट आफ इन्टरेस्ट पर फाइनेन्सेज दिये जायें। महिलाओं को एम्पलायमेंट में ज्यादा परसेन्टेज दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपके इस अमेण्डिंग बिल का समर्थन करती हूं।

*SHRI M. ARUNACHALAM (Tenkasi) Hon. Mr. Chairman, Sir, while extending my whole-hearted support to the Banking Laws (Amendment) Bill, I wish to make a few suggestions, which I am sure the Hon. Deputy Minister will find acceptable to him.

From the Bankers' Books Evidence Act passed in 1891 to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, this amending legislation has taken 9 principal Acts in its purview. I am surprised how the Government has managed to carry on with the provisions of the Bankers' Books Evidence Act, 1891 for all these 36 years after independence. When the need for amending this Act has been felt in 1983, naturally this requirement would have been stalled all these years I would like to have some clarifications from the Hon Deputy Minister for such an inordinate delay in amending this 1891 Act.

This Bill extends statutory protection from the Companies Act, 1956 for the representatives of State Bank, the subsidiaries of State Bank and also other public sector Banks who are appointed as Directors of the Companies which have recieved loans from the concerned Banks. I can appreciate the need for protecting the officials of the Banks from the enforcement of provisions of Companies Act for any statutory violations of such companies.

Here I would like to draw the attention of the House to the fact that now nearly 420 large private sector undertakings are reported sick and the quantum of Bank credit extended to them is of the order of Rs. 1500 crores. This colossal amount is to be recovered from these sick companies. The Hon. Deputy Minister will have to concede that the representatives of the Banks which have extended credit facilities to them would be working as Directors of these companies. I need not dilate much on the inept role that these Directors have

*The original speech was delivered in Tamil.

played in protecting the finances of their Banks. It is not that they have reported sick overnight. These Directors from the Banks must have known the direction in which these companies were going. I would like to know what positive steps they had taken to arrest this downward trend. I would also like to know what penal action is proposed to be taken against them for their failure to secure the funds of the Banks. This amending Bill should have incorporated a clause in this matter also.

This amending Bill has brought under its purview the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. Here I have to refer to the plight of common people who invest their life's savings in fixed deposits in the private companies which are permitted under the companies Act to entertain such fixed deposits. Sir, you must have come across several cases of frauds of companies which close immediately after entertaining deposits from the people. Even established concerns hoodwink the common people in this matter. There is no protection at all for the deposits of people. When this Bill has put restrictions regarding the number of depositors, I would like to demand that the scheme of deposit insurance should be extended through this amending Bill. They should all be brought under the umbrage of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. I appeal to the Hon. Deputy Minister that he should rescue the common people from the clutches of such unscrupulous people.

Through this Bill, it is being ensured that the rules and regulations being framed under Acts are placed on the Table of the House. I have a doubt whether the National Bank for Agricultural and Rural Development Act and the Export Import Bank have this statutory obligation. If it is not there, the Hon. Deputy Minister should ensure this legal compliance in regard to these two important Acts.

I would raise another import issue. Through the Branches of foreign banks established here, the importers of Indian goods get letters of credit opened. After the Indian goods reach the foreign places of the concerned party, the letters of credit are revoked unceremoniously. The Indian exporters are being left high and dry. There are many number of example in Tamil Nadu. I know particularly one exporter who is actually on the streets now because he has lost everything in this export trade. His textile goods worth more than a crore of rupees are getting spoiled on foreign soil because the importer has revoked the letter of credit on some flimsy ground. I would like to know what action the Hon. Deputy Minister proposes to take on the Branches of foreign banks involving in such fraudulent transactions.

We take care of major issues, but we miss minor issues confronting common people who depend much on our banking sector. I give you an example of how the poor people are harassed. I take a draft for Rs. 1000/- from the Punjab National Bank here and send it to my home in South It so happens that there is no branch of this Bank in my hometown. My people, who want this money for day to day expenses, deposit this draft in another Bank. The money is not immediately credited. That draft is sent to the head-office of Pujab National Bank here in Delhi from where it is cleared. All this process takes more than 15 to 20 days. All the while my money is blocked and my people are unable to utilise it. This kind of procedures should be modified. There should be inter-Banking covenants so that the draft, which has been obtained against cash, is honoured forthwith. We should do this to redress the genuine grievances of the people against our banking system.

The Hon. Members who preceded me referred to malpractices and irregularities in the banking system. I am sure that my Government, which is dedicated to common cause and which has acquired the noble lagacy from the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, and which is headed by the one and only dynamic leader, Shrimati Indira Gandhi, who has nationalised the commercial banks to capture the commanding heights of economy, will deliver the goods The Banks have a vital role to play in the successful implementation of our Hon. Prime Minister's new 20-Point Programme. The speakers who preceded me referred to the I R D.P., and N.R.E.P. schemes being implemented for the betterment of the large majority of our people who are in the

lowest rung of our society. These schemes are being implemented through the agencies of banking sector. The loans, grants and subsidies are disbursed through the Branches of these Banks. There are incontrovertible reports of avoidable delays in the disbursal of grants and loans by the Banks. I appeal to the Hon. Deputy Minister that he should ensure expeditious disbursal of loans, grants and subsidies to all such schemes which are meant to uplift the downtrodden people of our country.

With these words, I extend my support to this Bill and conclude my speech.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम चेयरमेन साहब, इस ऐवान में जो बिल जेरे-तजवीज है, मैं उसकी तहेदिल से ताईद करता हूं । मैं अपने भाई, वजीर पुजारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पर जबकि मुल्क दो-राहे पर खड़ा है, एक अच्छा कदम उठाया है ।

यह कदम उनको उठाना ही था । क्योंकि जिस पार्टी से वे ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के उसूल, सिद्धांत जनता के प्रति वचनबद्ध और पाबंद जबान हैं इसलिए यह कदम जो उठाया गया है वह निहायत मुनासिब है और मुबारक-बादी का मुस्तहक है ।

मोहतरम चेयरमेन, मैं आपके जरिए एक-दो बातें अर्ज करना चाहता हूं जो निहायत अहम और हर हिन्दुस्तानी की जिंदगी की कड़ी हैं ।

यह बिल्कुल जानी हुई बात है कि हिन्दुस्तान की 85 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और 15 फीसदी लोग शहरों में रहते हैं या इससे कुछ कम । कहने का मकसद यह हुआ कि गांवों के लोग जो खेती बाड़ी में लगे हैं और उसको मजबूत करना है और उनकी माली हालत को ठीक करना है तो इसमें कोई सुबहा नहीं है कि एग्रीकल्चर जिसको इंडस्ट्री माना गया है, वह मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा । हर लिहाज से मजबूत होगा । गांवों के लोग भी हर लिहाज से मजबूत होंगे । चाहे मुल्क के बचाव का मसला हो, चाहे वह खेती का मसला हो, इसमें उनका पार्टीसिपेशन (Participation) बहुत मजबूत होगा और तेजी के साथ मुल्क आगे होगा । अभी मैं डागा साहब की बात सुन रहा था । उन्होंने बताया कि 50 हजार करोड़ का डिपाजिट है और 45 हजार के करीब बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं । यह बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए । किसी डेवलपिंग कंट्री की तरक्की की यह बड़ी जबरदस्त निशानी है । यह बात ऐवान को मालूम है, पार्लियामेंट को यह बात मालूम है कि बैंक जो पहले कुछ लोगों के लिए थे, जो सिर्फ कुछ लोगों की खिदमत और काम करते थे और कुछ लोगों के प्रति कमिटेड थे, इस बेरियर को, इस रवायत को पहली बार इंदिरा गांधी जी ने तोड़ा और इसी पर हमारी पार्टी का बंटवारा भी हुआ । उनके जहन में यह बात थी कि गरीबों की हम मदद कर सकते हैं, गरीबों को ऊपर उठा सकते हैं, गांव के लोगों को उठा सकते है, तभी सही मायने में मुल्क में मुआयशी जूहनी आजादी हो सकती है । इसी तरीके से जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो उस वक्त केवल 14 बैंक थे । अब ज्यादा हो गए हैं । बैंकों को नेशनलाइज करने की जो नीयत थी, जिस सिद्धांत व असूल पर इनको नेशनलाइज किया गया था, उसमें मुझे कुछ नाउमीदी नजर आती है । इसके बारे में एक-दो बातें कहना चाहूंगा । हमारी नीयत बैंकों को नेशनलाइज करने की यह थी कि गांव ऊपर उठें, खेती आगे बढ़े इर्रीगेशन हो, गांवों में बिजली पहुंचे, गांव में स्कूल-कालेज खुलें, गांवों में काम हो और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैय्या हो । जब इन बातों की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे कुछ नाउमीदी नजर आती है ।

यह सही है कि जो बैंकों की शाखाएं बढ़ी हैं, लोगों को अधिक ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है लेकिन बार-बार सदन में यह बात आई है कि करप्शन बड़े जोरों पर है। बैंक मैनेजरों का परसेंटेज बंधा हुआ है। 10-15 परसेंट उनको मिलना चाहिये तब जाकर कहीं कर्ज मिलेगा।

जब मैं कांस्टीच्युएन्सी में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं। क्या हम इस बात को मान लें कि ऐसा ही होता रहेगा। ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे? कर्ज देने का जो प्रोफार्मा आपने बनाया है, उसमें इतने आइटम्स हैं कि एक गरीब जो सिर्फ अंगूठा लगाकर कर्ज लेना चाहता है, क्या वह इतने आइटम्स को भर सकता है? इसीलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस प्रोसीजर (Procedure) को सिम्पलीफाई (Simplify) करें ताकि जिस बात के लिए हमारी लीडर श्रीमती गांधी लोगों को कमीटेड है, वह गांव में पहुंचा सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। आई० आर० डी० पी० की बात मैं सुन रहा था। बी० डी० ओ० साहब के पास दरख्वास्त दी जाए तो वह सर्किल इंसपेक्टर के पास चली जाएगी, उसके बाद ग्राम सेवक और फिर वापिस बी० डी० ओ० साहब के पास पहुंच जाएगी। वे, सी० ओ० साहब की मीटिंग बुलायेंगे तब वह दरख्वास्त बैंक जाएगी। इतना लम्बा प्रोसीजर बना हुआ है। इस बारे में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं: "हम खाक हो जायेंगे, तेरी जुल्फ के सर होने तक"। जब तक माशूक के जुल्फ का इन्तजार करेंगे, उस वक्त तक शायद यहां मेरे लिए कंडोलेंस भी हो जाएगा। फिर कोई बात होगी तो वही किस्सा होगा। प्रोसीजर आप सरल करें ताकि जिस बात के लिए हमारी पार्टी कमीटेड है, उसको गांवों तक पहुंचा सकें।

MR. CHAIRMAN: Why do you anticipate this in the House?

SHRI JAMILUR RAHMAN: No. No. It will not happen. Rest assured from my side.

एम्पलायमेंट के मसले के बारे में सभी को जानकारी है। हिन्दुस्तान में हरिजनों की आबादी 22 परसेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की साढ़े सात परसेंट और जो अकलियत हैं वे 13-14 परसेंट हैं। जिनके लिए रिजर्वेशन हैं उसमें कितने लोग मैनेजर्स में या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या दूसरी कैटेगिरी आफ सर्विस में हैं। पिछली मई में हमारी प्रधान मंत्री ने सारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को एक सर्कुलर दिया है। उसकी एक वजह थी। हमको भी एक ग्रिवान्स (grievance) है, उसको मद्दे नजर रखते हुए उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी शामिल हैं कि क्लास थ्री और फोर की नौकरियों के लिए कितनी स्टैण्डर्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बेहतर यही होगा कि पूरे मुल्क में किसी को ग्रिवान्स न हो। इसके लिए एक कमेटी बनायी जाए जिसमें हरिजन और मुसलमान जरूर हों। और एक दीगर लोग हों। अफसर भी हों। वे देखें कि क्लास 4 की बहालियां जिसके लिए कोई खास स्टैण्डर्ड और क्वालिफिकेशन्ज की जरूरत नहीं है, उनमें नाइन्साफी किसी के साथ तो नहीं हो रही है चाहे वह मुसलमान हो, हरिजन हो, बैकवर्ड क्लासिस का हो या शेड्यूल्ड कास्ट का हो, कोई भी हो। मुझे दुख हुआ एक बात को सुनकर। मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन डागा साहब ने जरा सा इशारा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कानपुर की बैंक की शाखा के बारे में। वहां जो गड़बड़ियां हैं उनको डिपार्टमेंट देखे और समझे। देखना भी उसको चाहिये चूंकि यह पब्लिक एक्सचेकर का मामला है। लेकिन क्लास 4 की जो बहालियां है उसके बारे में मैं कहना चाहता

हूं। जो लोग सिलैक्शन लिस्ट में आए उनमें पांच-छः इत्तिफाक से मुसलमान भी थे। आपको सुनकर अफसोस होगा कि उनमें से भी काट कर दो या तीन कर दिए गए विदाउट एसाइनिंग एनी रीजन (without assigning any reason)। अगर इसकी शिकायत की जाए तो कहेंगे कि बड़ा कम्युनल आदमी मालूम होता है और अगर शिकायत न करूं तो लोगों की तरफ से मुझे बुरा भला सुनने को मिलता है। मैं लोगों के लिए कमिटेड हूं, मेरी पार्टी कमिटेड है। चन्द ब्यूरोक्रेट्स को बैठकर जो चाहे करें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिये कि वे भी हिन्दुस्तान के बाशिन्दे हैं, यहां की पैदावार हैं यहीं उनको भी जीना है और यहीं मरना है। उनके लिए भी कोई दूसरी जन्नत या जहन्नुम नहीं बनेगा। हर किसी को अपने-अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसी देश की मिट्टी में हर कोई जन्मा है और इसी देश की मिट्टी में उसको मिल जाना होगा। इसलिए उनको अपना मिजाज बदलना चाहिये। साथ-ही-साथ उनको अपने तर्ज और तरीके बदलने चाहियें।

जहां तक लोन एप्लीकेशन फार्म्ज का ताल्लुक है, इनकी डिसपोजल के लिए आप कोई प्रोसीजर सैट करें। वैसे लोग भी अपने मिजाज को हलका करें। एक फिक्स्ड समय में इनका डिसपोजल हो जाना चाहिये। बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में दूसरे जो हैं उनका प्रापर (proper) रिप्रिज़ेंटेशन (representation) होना चाहिये, उनको प्रापर नुमाइन्दगी मिलनी चाहिये। जहन में कभी नहीं इसको रखना चाहिये कि यह मुसलमान है, बैक्वर्ड है, हरिजन है, ट्राइब है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें। हमें हाफ एन आवर लेना है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

पांच हजार के लोन के लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिये। पांच हजार का इस इनफ्लेशन के जमाने में वजन ही क्या है। इससे ज्यादा हो तो जो चाहे आप करें।

जैसा कहा गया है सर्विस कंडिशंज को इम्प्रूव किया जाना चाहिये, उनको ठीक किया जाना चाहिये। लोन एप्लीकेशन जो आती हैं उनकी डिसपोजल के लिए टाइम लिमिट सैट की जानी चाहिये। एक महीना, दो महीने जो भी आप चाहें रखें लेकिन इस अर्से में इनका डिसपोजल हो जाना चाहिये। जब्ती व कुर्की के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं।

जब्ती कुर्की के बाद अरेस्ट की बात इस ऐक्ट में है जो अच्छी बात है और बहुत लोगों ने अपोज किया है खासतौर से अपोजीशन ने जिसकी अखबारों में भरमार है। लेकिन साथ-साथ एक बात और है कि 500 रु० का कर्ज अगर कोई गरीब लेता है उसके समय पर न देने पर तो बैंक का मैनेजर पुलिस और हथकड़ी लेकर उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन जिन बड़े लोगों पर लाखों, करोड़ों रुपया बैंकों का बाकी है उनको कोई नहीं पकड़ता है। यह भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये।

20 पाइन्ट इकोनामिक प्रोग्राम के फुलफिलमेंट के लिये यह बहुत जरूरी है कि बैंक की दर्खास्त को सहल कीजिये तभी यह प्रोग्राम पूरा होगा और गरीबों की मदद होगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

شری جمیل الرحمٰن (کشن گنج): محترم چیئرمین صاحب۔ اس ایوان میں جو بل زیر تجویز ہے میں اس کی تہہ دل سے تائید کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائی وزیر پجاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے موقع پر جب کہ ملک دوراہے پر کھڑا ہے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔

یہ قدم ان کو اٹھانا ہی تھا۔ کیونکہ جس پارٹی سے وہ اور ہم تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی کے اصول سدانت جنتا کے پرتی وچن بدھ اور پابند زبان ہیں۔ اسلئے یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ نہایت مناسب ہے اور مبارکباد کا مستحق ہے۔

محترم چیئرمین۔ میں آپ کے ذریعے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو نہایت اہم اور ہر ہندوستانی کی کڑی ہے۔

زندگی کی یہ بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان کی ۸۵ فی صدی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور ۱۵ فیصدی لوگ شہروں میں رہتے ہیں یا اس سے کچھ کم۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ جو کھیتی باڑی میں لگے ہیں اگر ان کو مضبوط کرنا ہے اور ان کی مالی حالت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر جس کو انڈسٹری مانا گیا ہے وہ مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ ہر لحاظ سے مضبوط ہوگا گاؤں کے لوگ بھی ہر لحاظ سے مضبوط ہونگے۔ چاہے ملک کے بچاؤ کا مسئلہ ہو چاہے وہ کھیتی کا مسئلہ ہو۔ اس میں ان کا پارٹیسیپیشن بہت مضبوط ہوگا اور تیزی کے ساتھ ملک آگے ہوگا۔ لیکن ابھی میں ڈانگا صاحب کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ۵۰ ہزار کروڑ کا ڈپازٹ ہے اور ۴۵ ہزار کے قریب بینکوں کی شاخیں کھولی گئی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیئے۔ کسی ڈیولپنگ کنٹری کی ترقی کی یہ بڑی زبردست نشانی ہے۔ یہ بات ایوان کو معلوم ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ بات معلوم ہے کہ بینک جو پہلے کچھ لوگوں کے لئے تھے جو صرف کچھ لوگوں کی خدمت اور کام کرتے تھے اور کچھ لوگوں کے لئے کمینڈڈ تھے۔ اس بیریئر کو۔

اس روایت کو پہلی بار اندرا گاندھی جی نے توڑا اور اسی پر ہماری پارٹی کا بٹوارہ بھی ہوا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غریبوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ غریبوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ تبھی صحیح معنوں میں ملک میں معاشی اور ذہنی آزادی ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ سے جب بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا تو اس وقت کیول ۱۴ بینک تھے۔ اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ بینکوں کو نیشنلائز کرنے کی جو نیت تھی جس سدانت و اصول پر ان کو نیشنلائز کیا گیا تھا۔ اس میں مجھے کچھ ناامیدی نظر آئی ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں گا۔ ہماری نیت بینکوں کو نیشنلائز کرنے کی یہ تھی کہ گاؤں اور اٹھیں کھیتی آگے بڑھے، اریگیشن ہو گاؤں میں بجلی پہنچے۔ گاؤں میں اسکول کالج کھلیں۔ گاؤں میں کام ہو اور بیروزگار نوجوانوں کو روزگار رہتا ہو، جب ان باتوں کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ناامیدی نظر آتی ہے۔

یہ نتیجہ ہے کہ جو بینکوں سے کی شاخائیں بڑھی ہیں، لوگوں کو ادھک دھن کی سودھا پراپت ہوئی ہے لیکن بار بار سدن میں یہ بات آئی ہے کہ کرپشن بڑے زوروں پر ہے۔ بینک منیجروں کا پرسنٹیج بندھا ہوا ہے۔ ۱۰ پرسینٹ ان کو ملنا چاہیئے تب جاکر کہیں قرض ملے گا۔

جب میں کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ کیا ہم اس بات کو مان لیں کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ایسے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں۔ ان کے خلاف آپ سختی سے سخت کارروائی کریں گے۔ قرض دینے کا جو پروفارما آپ نے بنایا ہے اس میں اتنے آئٹمز ہیں کہ ایک غریب جو صرف انگوٹھا لگا کر قرضہ لینا چاہتا ہے کیا وہ اتنے آئٹمز کو بھر سکتا ہے۔ اس لئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس پروسیجر کو سمپلیفائی کریں تاکہ جس بات کے لئے ہماری لیڈر شریمتی گاندھی بولتی ہیں، جو کہتی ہیں، وہ گاؤں میں پہنچا سکیں اور ہمارا ملک ترقی کر سکے۔

آئی۔ آر۔ ڈی۔ پی۔ کی بات میں سن رہا تھا۔ بی۔ ڈی۔ او۔ صاحب کے پاس درخواست دی جائے تو وہ سرکل انسپیکٹر کے پاس چلی جائے گی۔ اس کے بعد گرام سیوک اور پھر واپس بی۔ ڈی۔ او۔ صاحب کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ سی۔ او۔ صاحب کی میٹنگ بلائیں گے تب وہ درخواست بینک جائے گی۔ اتنا لمبا پروسیجر بنا ہوا ہے۔ اس بارے میں میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں

ہم خاک ہو جائیں گے تیری زلف کے سر ہوتے تک
جب تک معشوق کے زلف کا انتظار کریں گے۔

اس وقت تک شاید یہاں میرے لئے کنڈولینس بھی ہو جائے گا۔ پھر کوئی بات ہو گئے تو وہاں قصہ ہوگا۔ پروسیجر آپ سرل کریں، تاکہ جس بات کے لئے ہماری پارٹی کمیٹڈ ہے اس کو ناؤ تک پہنچا سکیں۔

MR. CHAIRMAN : Why do you anticipate this in the House ?

MR. JAMILUR RAHMAN : No. No. It will not happen. Rest assured from my

اپلائمنٹ کے مسئلے کے بارے میں سبھی کو جانکاری ہے۔ ہندوستان میں ہریجنوں کی آبادی ۲۲ پرسینٹ ہے۔ شیڈولڈ ٹرائبس کی ساڑھے سات پرسینٹ اور جو اقلیت ہیں وہ ۱۳-۱۴ پرسینٹ ہیں۔

جن کے ایڈمنسٹریشن میں اس میں کتنے لوگ منیجرس میں یا بورڈ آف ڈائریکٹرس میں یا دوسری کیٹگری آف سروس میں ہیں؟ سنہ ۱۹۸۲ میں ہماری پردھان منتری نے ساری پبلک انڈرٹیکنگس کو ایک سرکولر دیا ہے۔ اس کی ایک دفعہ تھی۔ آج بھی ایک گریوانس ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے شیڈولڈ کاسٹس اور شیڈولڈ ٹرائبس بھی بتاتے ہیں کہ کلاس تھری اور فور کی نوکریوں کے لئے کتنی اسٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ پورے ملک میں کسی کو گریوانس نہ ہو۔ اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی جائے، جس میں ہریجن اور مسلمان ممبر ہوں۔ اور ایک دیگر لوگ ہوں تو اچھی ہوں۔ وہ دیکھیں کہ کلاس تھری کی بحالیاں جن کے لئے کوئی خاص اسٹینڈرڈ اور کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان میں ناانصافی کسی کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ مسلمان ہو، ہریجن ہو، بیکورڈ کلاسز کا ہو یا شیڈولڈ کاسٹ کا ہو۔ کوئی بھی ہو۔ مجھے دکھ ہوا ایک بات کو سن کر۔ میں بولنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ڈاگا صاحب نے ذرا سا اشارہ کیا ہے اسلئے میں کہنا چاہتا ہوں کانپور کی بینک کی شاکھا کے بارے میں وہاں جو گڑبڑیاں ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ دیکھے اور سمجھے۔ دیکھنا بھی اس کو چاہئے کیونکہ یہ پبلک ایمیج کا معاملہ ہے۔ لیکن [illegible]

بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ سلیکشن لسٹ میں آئے ان میں پانچ چھ اتفاق سے مسلمان بھی تھے۔ آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ ان میں سے بھی کاٹ کر دو یا تین کر دیے گئے وداؤٹ ایسائننگ اینی ریزن۔ اگر اس کی شکایت کی جائے تو کہیں گے کہ بڑا کمیونل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر شکایت نہ کروں تو لوگوں کی طرف سے مجھے برا بھلا سننے کو ملتا ہے۔ میں لوگوں کے لئے کمیٹڈ ہوں میری پارٹی کمیٹڈ ہے۔

چند بیوروکریٹس بیٹھ کر جو چاہیں کریں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ بیوروکریٹس کو سمجھنا چاہئے کہ وہ بھی ہندوستان کے باشندے ہیں۔ یہاں کی پیداوار ہیں۔ یہیں ان کو بھی جینا ہے اور یہیں مرنا ہے۔ ان کے لئے بھی کوئی دوسری جنت یا جہنم نہیں ہے۔ کہ ہر کسی کو اپنے کرموں کا پھل بھگتنا ہوگا۔ اسی دیش کی مٹی میں ہر کوئی جنما ہے اور اسی دیش کی مٹی میں اسکو مل جانا ہوگا۔ اس لئے ان کو اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے۔

ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے طرز اور طریقے بدلنے چاہئیں جہاں تک لون ایپلیکیشن فارمز کا تعلق ہے، ان کے ڈسپوزل کے لئے آپ کوئی پروسیجر سیٹ کریں ویسے لوگ بھی اپنے مزاج کو ہلکا کریں۔ ایک فکسڈ ٹائم میں ان کی درخواست کا ڈسپوزل ہونا چاہئے۔ بورڈ آف ڈائرکٹرس میں دوسرے جو ہیں ان کا پراپر ریپریزنٹیشن ہونا چاہئے۔ ان کو پراپر نمائندگی ملنی چاہئے۔ ذہن میں کبھی نہیں اس کو رکھنا چاہئے کہ یہ مسلمان ہے، بیکورڈ ہے، ہریجن ہے، ٹرائب ہے۔

سبھاپتی مہودے (شری جنتا نی پالی گرہی): اب آپ ختم کریں، ہمیں ہاف این آور لینا ہے۔

شری جمیل الرحمٰن: میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ پانچ ہزار کے لون کے لئے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے۔ پانچ ہزار کا اس انفلیشن کے زمانے میں وزن ہی کیا ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو جو آپ چاہیں کریں۔

جیسا کہا گیا ہے سروس کنڈیشنز کو امپروو کیا جانا چاہئے ان کو ٹھیک کیا جانا چاہئے۔ لون ایپلیکیشنز جو آتی ہیں ان کی ڈسپوزل کے لئے ٹائم لمٹ سیٹ

کی جانی چاہیئے - ایک مہینہ، دو مہینے جو بھی آپ چاہیں رکھیں
لیکن اس عرصے میں ان کا ڈسپوزل ہو جانا چاہیئے -
ضبطی اور قرقی کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں،
ضبطی قرق کے بعد اریسٹ کی بات اس ایکٹ میں ہے. جو
اچھی بات ہے اور بہت لوگوں نے اپوز کیا ہے۔ خاص
طور سے اپوزیشن نے جس کی اخباروں میں بھرمار ہے -
لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ ۵۰۰ روپے
کا قرض اگر کوئی غریب لیتا ہے اس کے کیسے پر نہ دینے
پر تو بینک کے منیجر پولیس اور ہتھکڑی لے کر اس کے گھر میں
گھس جاتے ہیں۔ لیکن جن بڑے لوگوں پر لاکھوں کروڑوں
روپیہ بینکوں کا باقی ہے ان کو کوئی نہیں پکڑتا ہے -
یہ بھید بھاو نہیں برتا جانا چاہیئے -
۲۰ پوائنٹ اکانومک پروگرام کے فلفلمینٹ
کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ بینک کی درخواست
کو سہل کیجیئے۔ تبھی یہ پروگرام پورا ہوگا اور غریبوں
کی مدد ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس
بل کی تائید کرتا ہوں

17.31 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

DURG ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Half-an-Hour Discussion.

Shri Kashyap.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति जी, विश्वविद्यालय के छात्रों में मादक औषधियों की लत के बारे में जो मेरा प्रश्न सं० 135 था जिसका उत्तर 1 दिसम्बर, 1983 को हमें प्राप्त हुआ था वह मेरी राय में काफी नहीं था। इस बारे में एक आर्टिकिल "ट्रिब्यून" अखबार में 13.12.83 को छपा था। जिससे इस बारे में काफी जानकारी हमें मिली है। सुभाष जे० रैले का वह आर्टिकिल है जिसमें इण्डियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च ने जो स्टडी और सर्वे किया था, विश्वविद्यालयों में जो युवक और युवतियाँ हैं उनमें मादक द्रव्यों के प्रयोग से और इस तरह की कुछ अन्य दवाइयों के प्रयोग से बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और छात्रों में खासतौर से इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह सर्वे हुआ और इण्डियन काउन्सिल आफ मैडिकल रिसर्च ने जो आंकड़े दिये हैं स्टडी के जिनमें बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में 33 परसेंट छात्र, छात्रायें इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बम्बई, लखनऊ, कानपुर आदि में तो यह सीमा 33 से भी बढ़ गई है और 50 परसेंट तक छात्र इसके शिकार पाये गए। भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, एल. एस. डी. आदि चीजों का प्रयोग बढ़ गया और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, देश के सामने एक स्थिति पैदा हो गई है कि अगर इतना बड़ा वर्ग देश का नशे में रहेगा तो वह निष्क्रिय हो जायेगा, कायर और निकम्मा हो जायगा। उनकी शिक्षा और देश के भविष्य का क्या होगा, इन सब बातों पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई भी स्टैंडी या सर्वे नहीं किया गया। सरकार को या तो जानकारी नहीं है, जब कि बहुत से समाचार पत्रों में यह चीज छपी, लेकिन सरकार का यहां उत्तर आया कि इस तरह का कोई सर्वे या स्टैंडी नहीं हुई। अब जब सरकार को पता ही नहीं है तो इसका समाधान भी सरकार के पास नहीं हो सकता। मेरी राय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए। वह समाधान सरकार किस तरह से करना चाहती है, कैसे करेगी, जब तक इस पर कोई विशेष सर्वे न हो तब तक पता नहीं लग सकता।

हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 अक्तूबर, 1982 को छपा था। दूसरे अखबारों में 18.12.82